

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 32 / स्था. / 2025

दिनांक : 29/10/25

: : आ दे श : :

अध्यक्ष, पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न कर्मचारी को पदोन्नति वर्ष 2019-20 में दिनांक 01.01.2020 से रीडर ग्रेड-III/शेरिस्तेदार ग्रेड-III/लिपिक ग्रेड-I के पद से रीडर ग्रेड-II/शेरिस्तेदार ग्रेड-II/कार्यालय सहायक के पद पर राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग के पत्र संख्या प. 26(35)न्याय/2017 पार्ट दिनांक 02.11.2017 के अनुरूप वेतन श्रृंखला 9300-34800 ग्रेड-पे 3600/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-10 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम व पद	पदोन्नति की तिथि एवं अवधि	विशेष विवरण
1	श्री मुकेश कुमार छीपा रीडर ग्रेड-III	01.01.2020 से निरंतर	-

नोट :-

- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे एवं नियमानुसार कर्मचारी का वेतन नियतन किया जावे। कर्मचारी को उक्त पदोन्नति का काल्पनिक लाभ पदोन्नति तिथि से तथा नकद लाभ कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।
- उपरोक्त पदोन्नति भविष्य में कर्मचारी का कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा अन्य किसी कारण से अयोग्य पाये जाने पर इन्हें बिना किसी नोटिस के पदावनत किया जा सकेगा।
- उक्त पदोन्नति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित सभी रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी तथा राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
- उक्त कर्मचारी के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जाएंगे।
- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पदोन्नति आदेश के संबंध में लंबित समस्त रिट याचिकाओं के निर्णयाधीन उक्त आदेश में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि उक्त कर्मचारी उपरोक्त आदेशानुसार पदावनत होता है तो उसके द्वारा आहरित की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।
- यदि कर्मचारी पूर्व से ही रीडर ग्रेड-II/शेरिस्तेदार ग्रेड-II/कार्यालय सहायक के पद का वेतनमान चयनित वेतनमान के रूप में वेतन आहरित कर रहे हो तो, इस पदोन्नति परिणामस्वरूप राजस्थान सेवा नियम के नियम 26-ए के अन्तर्गत इस पदोन्नति पर वेतन नियतन का कोई लाभ देय नहीं होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

क्रमांक: स्था / 2025 / 5481 to 5482

दिनांक : 29/10/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
- अध्यक्ष, पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची निर्धारण समिति
- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा